म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 6238 / MGNREGS-MP / NR-3 / SE-I / 2013, भोपाल, दिनांक 10 / 07 / 2013

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला – समस्त (म.प्र.)

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा की कपिलधारा उपयोजना के तहत लक्षित वर्ग के न्यूनतम एक एकड़ भूमि धारक पात्र कृषकों को लाभान्वित किये जाने बाबत्।**

संदर्भः **विभाग के पत्र क. 6077 / 22 / वि–9 / आरजीएम / 07 दि. 07.04.2007।**

महात्मा गांधी नरेगा की कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत विभाग के संदर्भित पत्र के पैरा क. 5.1.2 के बिन्दु क. 2 में किये गये उल्लेख अनुसार न्यूनतम एक हेक्टे. की सीमा तक जोत की कृषि भूमि के स्वामित्व वाले हितग्राहियों को कपिलधारा योजना के हितग्राही के रूप में चयनित किये जाने का प्रावधान किया गया है। निर्धन वर्ग के छोटे कृषकों की भी आजीविका सुदृढ हो सके तथा कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो इसे दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा महात्मा गांधी नरेगा की नवीन मार्गदर्शिका 2013 की संशोधित अनुसूची–1 के पैराग्राफ 1 (ग) में निर्दिष्ट निम्न संवर्ग के परिवारों की स्वामित्वाधीन न्यूनतम एक एकड भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कपिलधारा कूप निर्माण का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया है।

- अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के परिवार
- गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सामान्य वर्ग के परिवार
- इंदिरा आवास के लाभार्थी परिवार
- भूमि सुधार के लाभार्थी परिवार
- लघु एवं सीमान्त कृषक (कृषि ऋण आधित्यजन और ऋण राहत स्कीम 2008 में यथा पारिभाषित)
- अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 (2007 का 2) के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों की स्वामित्वाधीन भूमि अथवा वास भूमि

विभाग के संदर्भित पत्र के शेष निर्देश एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देश यथावत रहेगें।

उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।

(अरूणा शर्मा) 12/7/13
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भारत सरकार की वेबसाइट http://www.nrega.nic.in
मनरेगा की वेबसाइट www.nregs-mp.org
टोल फ्री नं. 155343

D:/Manjusha/Letter General New 13

पृ. क्र./6239/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 भोपाल, दिनांक 10/02/2013

प्रतिलिपि :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, अनुसूचित एवं आदिम जाति कल्याण विभाग।
4. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
6. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
7. आयुक्त सह संचालक, क्षेत्रीय विकास योजनाएं म.प्र.।
8. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
9. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
10. मुख्य अभियंता, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
11. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल मध्यप्रदेश।
12. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।
13. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।

प्रति,

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग